तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो
05-4-2021	खण्ड **पीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री रवि डांगी, सदस्य** ...... उपस्थित श्री प्रदीप विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट। ---- **आदेश** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 123/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14-12-2017 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 126/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-7-2016 के विरूद्ध पेश की गई है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपीलांट/प्रार्थीगण की पूर्ण व समुचित सुनवाई नहीं हो सकी है और उन्हें जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण व समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सभी संबंधित पक्षकारान को पूर्ण व समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। प्रकरण के गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण के लिए भी सभी संबंधित पक्षकारान को पूर्ण व समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात पूर्ण अवलोकन किये बगैर तथा किसी भी विवाद्यक बिन्दु पर अपनी कोई फाईण्डिंग दिये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	अतः इस स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 14-12-2017 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 15-7-2016 व अपास्त योग्य होने से अपास्त किये जाते हैं। मूल वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रकरण से संबंधित समुचित पक्षकारान की समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुए विधि अनुसार तनकीवार निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 29-4-21 को उपस्थित हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रवि डांगी)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	